न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार असीजा, आर.ए.एस.

अपील संख्या:— 241/2018
जीसीएमएस नं. :—2018/00367

1. देवीलाल
2. पीरदान
3. भालाराम
4. लेखराम

} पिसरान केसराराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासीगण किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रूपादेवी पत्नी स्व0 ठाकरराम पुत्र इशरराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. चन्दूराम
3. लीलूराम

} पिसरान स्व0 ठाकरराम पुत्र ईशरराम मेघवाल निवासी दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।

4. गोगादेवी पुत्री स्व0 ठाकरराम पत्नी कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. कम्मा देवी पुत्री स्व0 ठाकरराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. ख्यालीराम पुत्र मामकौरी जाति मेघवाल निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. रेवन्तराम पुत्र मामकौरी जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. पालाराम पुत्र मामकौरी
9. बलवन्त पुत्र मामकौरी

} जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।

10. रेवन्दतराम पुत्री मामकौरी जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. मनोहरी पुत्री मामकौरी पत्नी दोलतराम
12. इमरती पुत्री मामकौरी पत्नी धन्नाराम

} जाति मेघवाल निवासी चाहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

13. भानी देवी पुत्री मामकौरी जाति मेघवाल निवासी झोतड़ तहसील रानियां जिला सिरसा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

14. रामप्यारी पत्नी स्व0 सुखराम } जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा
15. गुड्डी पत्नी नन्दराम पुत्र सुखराम } दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. विमला पत्नी देवीलाल पुत्री नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दारीवाला
17. सोमा पत्नी मदनलाल पुत्री नन्दराम जाति मेघवाल निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
18. सागरमल पुत्र नन्दराम
19. पृथ्वीराज पुत्र नन्दराम
20. सुमित्रा पत्नी नन्दराम पुत्र नन्दराम
21. महावीर पुत्र महेन्द्र कुमार
22. पूजा पुत्री महेन्द्र कुमार
23. भीमसैन पुत्र महेन्द्र कुमार

} जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।

24. श्रवण कुमार पुत्र सुखराम –फौत
    24/1 गुड्डी पुत्री स्व0 श्रवण
    24/2 दुलीचन्द पुत्र श्रवण
    24/3 राजेन्द्र पुत्र श्रवण
25. भानीराम पुत्र सुखराम

} जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

26. संतरो पत्नी स्व0 देवीलाल पुत्र सुखराम } जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा
27. सुग्रीव पुत्र स्व0 देवीलाल पुत्र सुखराम } दिखनादा तह0 व जिला हनुमानगढ
28. मंजू पुत्री स्व0 देवीलाल पत्नी बलवीर जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
29. ताराचन्द पुत्र सुखराम } जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा
30. सीताराम पुत्र सुखराम } तहसील व जिला हनुमानगढ
31. पालाराम पुत्र भीयांराम –फौत
    31/1 रामेश्वरी देवी पत्नी स्व0 पालाराम जाति मेघवाल निवासी मुकलावा तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगननगर।
    31/2 मोहनलाल
    31/3 सुभाष
    31/4 विजय
    31/5 सिमी

    } पिसरान स्व0 श्री पालाराम जाति मेघवाल निवासीगण मुकलावा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
32. रामकुमार पुत्र रामेश्वरी जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

33. मोहनलाल पुत्र रामेश्वरी
34. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरी } जाति मेघवाल निवासीगण मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगनगर
35. सीमा पुत्री रामेश्वरी पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमागनढ।
36. सावित्री पुत्री सुखराम पत्नी पदमाराम
37. इमरती पुत्री सुखराम पत्नी हनुप्रसाद } जाति मेघवाल निवासी मुकलावा तह0 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
38. चैनादेवी पुत्री सुखराम पत्नी जयसिंह जाति मेधवाल निवासी खाराखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
39. गोगादेवी पुत्री सुखराम पत्नी सरवन जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
40. पुर्णराम पुत्र पदमाराम –फौत

40/1 केसरदेवी पत्नी स्व0 पूर्णराम
40/2 मूलचन्द पुत्र पूर्णराम
40/3 कृष्ण पुत्र पूर्णराम
40/4 महेन्द्र कुमार पुत्र पूर्णराम
40/5 राजूराम पुत्र पूर्णराम } जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ।

40/6 गुड्‌डी देवी पुत्री स्व पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

40/7 धन्नी देवी पु0 स्व0 पूर्णराम
40/8 कलीदेवी पुत्री स्व0 पूर्णराम } जाति मेघवाल निवासी बरमसर तहसील रावतसर

40/9 विद्या देवी पुत्री स्व0 पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी खैदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

40/19 राजो देवी पुत्री स्व0 पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 22 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमागनढ।

41. पतराम पुत्र पदमाराम–फौत

41/1/1 रूघाराम पुत्र पतराम –फौत

41/1/2 रोशनी देवी पत्नी स्व0 रूघाराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमागनढ।

41/1/3 नमना पुत्री स्व0 रूघाराम पुत्र पतराम
40/1/4 पूजा पुत्री स्व0 रूघाराम पुत्र पतराम
40/1/5 सुना पुत्र स्व0 रूघाराम पुत्र पताराम
41/2 कृष्णलाल पुत्र स्व0 पतराम } जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखानादा तहसील व जिला हनुमागनढ।

(राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.) — मुहर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

41/3 सुभाष पुत्र स्व0 पतराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

41/4 मोहरा देवी पुत्री स्व0 पतराम जाति मेघवाल निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला हनुमागनढ।

41/5 मीना पुत्री स्व0 पतराम पत्नी श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

42. खेतूदेवी पत्नी स्व0 मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

43. रूघाराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

44. भागीरथ पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

45. मदनलाल पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

46. परमेश्वरी पुत्री मुखराम पत्नी औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी पक्का भादवां तहसील व जिला हनुमानगढ।

47. पुष्पादेवी पुत्री मुखराम पत्नी मलकीत सिह जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

48. लालचन्द पुत्र ईशर–फौत

48/1 पालो देवी पत्नी स्व0 लालचन्द
48/2 बलराम पुत्र स्व0 लालचन्द
48/3 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 लालचन्द
} जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला श्रीगंगनगर।

48/4 विमला पुत्री स्व0 लालचन्द पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी खैदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

48/5 कमलादेवी पुत्री स्व0 लालचंद पत्नी औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

48/6 मैनावती पुत्री स्व0 लालचन्द पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

49. सरस्वती पुत्री रेशा पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी ढींगावाली

50. मालटो पुत्री रेशा पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

51. रेशमा पुत्री रेशा पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
52. कौशल्या पत्नी पप्पू जाति मेघवाल निवासी रूपाणा
53. मैना पत्नी साहबराम जाति मेघवाल निवासी रूपाणा
54. प्रकाश
55. लेखराम
56. टीकूराम
57. भागाराम
58. मदलाल

(54–58) पिसरान रेशा पत्नी मोमनराम जाति मेघवाल निवासीगण डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

59. रामेश्वरलाल पुत्र रेशा–फौत
   59/1 सलोचना पत्नी
   59/2 रोशनी देवी पुत्री
   59/3 कमलादेवी पुत्री
   59/4 तुलसी देवी पुत्री
   59/5 आदराम

   (59/1–59/5) स्व0 रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
60. भागवानदास पुत्र रेशा–फौत
   60/1 तुलसी देवी पत्नी स्व0 भगवानदास जाति मेघवाल निवासी पंजाबा,
   60/2 विजय कुमार पुत्र स्व भगवानदास तह0 अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब
61. लीलूराम
62. सुरेन्द्र

(61–62) पुत्रगण सकरी पत्नी पूर्णराम पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी डूंगरसिहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

63. कमला पत्नी भानीराम पुत्री सकरी पत्नी पूर्णराम पुत्री ईशराम जाति मेघवाल निवासी बांडा कॉलोनी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।
64. प्रमिला पत्नी जीतराम पुत्री सकरी पत्नी पूर्णराम पुत्री ईशराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
65. सरोज पत्नी जगदीश पुत्री सकरी पत्नी पूर्णराम पुत्री ईशराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
66. रामलाल पुत्र रतिराम पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
67. दयाराम पुत्र रतिराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
68. रामी देवी पुत्री रतिराम पत्नी जोगाराम जाति मेघवाल निवासी राजाणा तहसील घड़साना जिला श्रीगांगगनर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

69. साहबराम पुत्र बृजलाल पुत्र रतिराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
70. कलो देवी पुत्री बृजलाल पत्नी अमीलाल जाति मेघवाल निवासी धर्मपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
71. अंगेरी देवी पुत्री बृजलाल पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी भादरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
72. सीमा पत्नी स्व0 श्री टीकूराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
73. देशराज उर्फ सुरेश पुत्र स्व0 श्री टीकूराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
74. दीपू उर्फ दलीप पुत्र स्व0 टीकूराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
75. सरोज पुत्री स्व0 टीकूराम पुत्र. मुखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
76. मंजू पत्नी श्रवण कुमार पुत्री स्व0 टीकूराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी ढूंढियांवाली तहसील रानियां, जिला सिरसा।
77. शांति देवी पत्नी स्व0 सहीराम –फौत

77/1 श्योपतराम
77/2 तानाराम
77/3 पप्पूराम
77/4 इन्द्राज } पिसरान स्व0 शांतिदेवी पत्नी सहीराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

77/5 राजोदेवी पुत्र स्व0 शांतिदेवी पत्नी सहीराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।

78. श्योपतराम पुत्र स्व0 सहीराम
79. तानाराम पुत्र स्व0 सहीराम
80. पप्पूराम पुत्र स्व0 सहीराम
81. इन्द्राज पुत्र स्व0 सहीराम
82. गोमती पुत्र स्व0 सहीराम } जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला

83. श्रीमान तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 04.052018 व डिक्री दिनांक 09.05.2018
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, हनुमागनढ
प्र. सं. 53/2011 अनवान मामकौरी आदि बनाम सुखराम आदि

उपस्थिति:–
श्री श्यामलाल नागपाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 6
श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 7 ता 10,
श्री रामस्वरूप वर्मा अभिभाषाक रेस्पोडेण्ट सं0 14, 15, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 24/2, 24/3
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 83

निर्णय दिनांक

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं रेस्पोडेण्ट सं0 7 ता 13 की माता मामकौरी पत्नी सुरजाराम द्वारा वाद पत्र में वर्णित चक 21 एस.एस.डब्ल्यू. चक 22 एस.एस.डब्ल्यू. की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, की खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण कोई विवाद बिन्दू शेष नहीं रहने के आधार पर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दो अपीलें पेश हुई थी। मामकौरी बनाम सुखराम मु0 नं0 52/2011 एवं दूसरी देवीलाल बनाम सुखराम मु0 नं0 99/2013 दोनों दावों को अधीनस्थ न्यायलाय ने समेंकित कर दिया। जिस दिन 04.05.2018 को निर्णय किया गया था देवी लाल बनाम सुखराम तलबी में थी। दूसरी पत्रावली मामकौरी बनाम सुखराम में दिनांक 04.05.2018 को राजीनामा हो गया था। मामकौरी बनाम सुखराम के राजीनामा की प्रति देवी लाल बनाम सुखराम में लगा दी जबकि देवीराम सुखराम में निर्णय नहीं हुआ था। रूपादेवी बनाम देवी लाल की अपील रेस्पोडेण्ट सं0 186/2018 को वापिस ले ली गई गई दोनों पत्रावलियों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय एक ही था। राजीनामा में समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं दोनों दावें 88 एवं 53 आरटीएकट में थे। धारा 52 में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नही हों तो डिक्री नहीं किया जा सकता है। सभी सह काश्तकारों को शामिल होना आवश्यक है। राजीनामा आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत ही राजीनामा हो सकता है। राजीनामा की प्रक्रिया टिनेन्सी एकट में नही है बल्कि सीपीसी में है। देवीलाल बनाम सुखराम में अपीलाण्ट ने 31 बीघा भूमि मांगी है जबकि राजीनामा 26 बीघा का हुआ है। 5 बीघा भूमि किसको चली गई है इसका कही भी स्पष्टकरण नहीं है। राजीनामा के आधार पर भूमि का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। खाता विभाजन के समय तहसीलदार से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई जो सह खातेदार राजीनामा में नही आये उनके बारे में निर्णय गलत किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है। राजीनामा अपूर्ण विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलांट्स की स्वतंत्र सहमति के बिना उनकी अनपढता का फायदा उठाते हुए मामले के तथ्यों को छुपाते हुए सम्पूर्ण रकबा व समस्त पक्षकारान का विवरण छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। राजीनामा पक्षकारान के अन्तरस्थ उद्देश की पूर्ति हेतु निष्पादित करवाया गया होने से कोई विधिक बल नहीं रखता है तथा ऐसे अविधिक राजीनामा से न तो किसी पक्षकार का विरास्तन प्राप्त शुदा हक व हिस्सा कम किया जा सकता है तथा ना ही ऐसे दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं0 7 ता 13 अपीलाण्ट्स की आराजी को प्राप्त करने के हकदार होते है। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकार्ड हक व अधिकार निहित है। वरवक्त निर्णय कुछ पक्षकारान की मृत्यु हो चुकी थी जिसमें से कुछ के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही लम्बित थी, जिन्हें न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया तथा कुछ के वारिसान को रिकार्ड हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे चुनौतीधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से नलिटी तथा काबिले खारिजी है। वादपत्र में दर्शित कब्जा काश्त के किला नम्बर बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ना ही जिस रकबा की घोषणा चाही गई है उतना रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादाधीन आराजी के सम्बन्ध में एकसिविल वाद स्व0 ठाकरराम के वारिसान रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे भी स्थगन आदेश पारित किया हुआ है उक्त वाद एवं स्थगन आदेश के अस्तित्व के रहते अधीनस्थ न्यायलाय को चुनौतीधीन निर्णय व डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर आनन फानन में यह नर्णिय व डिक्री पारित कर दिया है। अतः अपील अपलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रूपा देवी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा को माना है एवं 5 बीघा भूमि रिलीज कर दी है एवं 26 बीघा भूमि की डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजीनामा के आधार पर पारित किये गये है, राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है। राजीनामा अपीलाण्ट ने किया है और अब अपील उसके द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। यदि किसी अन्य पक्षकार का हक प्रभावित होता तो वो अपना पक्ष रखते अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट राजीनामा में पक्षकार था अब उसे अपील का अधिकार नहीं है। राजीनामा में नक्शा भी पेश हुआ और उसके हस्ताक्षर हैं नजरी नक्शे में खाला रास्ता का पूर्व प्रोविजन छोड़ा हुआ है। वाद में एक ही भूमि एवं एक समान पक्षकार होने के कारण दोनों पत्रावलियों को समंकित किया गया था। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पर कोई आपत्ति नहीं की है। अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 7 ता 15 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में राजीनामा होने पर वाद पत्र को डिक्री किया गया है, सभी पक्षकारों ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा किया है। राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री की अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र को राजीनामा के आधार पर डिक्री किया है। वादाधीन भूमि में संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें समस्त वादीगण व प्रतिवावदीगण का मुताबिक राजस्व रिकार्ड हक व अधिकार निहित था। समस्त पक्षकारान की तलबी करवाए बिना व उनकी अनुपस्थिति में कुछ पक्षकारान द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर वाद वादीया डिक्री है। अपीलाण्ट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

राजीनामा पर आपत्ति की है। हालांकि राजीनामा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा 31 बीघा भूमि मांगी गई थी जबकि राजीनामा 26 बीघा भूमि का किया गया है एवं 5 बीघा भूमि किसे दी गई है इसका को स्पष्ट नहीं किया गया है। वाद अधिकारों की घोषणा के साथ खाता विभजान का भी था। खाता विभाजन के वाद तहसीलदार से से कोई प्रस्ताव नहीं मंगवाया गया है। विधि अनुसार उभयपक्षों के मध्य खाता विभाजान का प्रस्ताव तैयार किया जाना जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। इसलिए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.05.2018 एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.09.2023

(अशोक कुमार असीजा पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner